न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2012/00133

छीतर आत्मज भूरा जाति भील निवासी हरिपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. नन्दा आत्मज नाथूलाल जाति भील निवासी हरिपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. कन्हैयालाल आत्मज सुखलाल जाति कोली निवासी डाबादेह तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.भगवती वल्लभ शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
2.रेस्पोडेन्ट संख्या 1–स्वयं उपस्थित
3.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय **दिनांक 24.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 529/2009 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर रामा पुत्र रूपा जाति भील निवासी हरिपुरा की खातेदारी की

भूमि खसरा सख्या 111 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 116 कांकडवाला रकबा 9 बीघा कुल किया किता 2 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा मे से वादी को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.05.1977 को खातेदार रामा भील ने भूमि की जमीन से कुआं खुदवाने के लिये अपनी भूमि मे से खसरा नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का बेचान कर कब्जा वादी को दिनांक 16.05.1977 को ही संभला दिया था तब से लगातार वादी का कब्जा चला आ रहा है। सैटलमेंट के बाद उक्त आराजी के नए खसरा सख्या 157 की 0.12 हैक्टेयर एवं खसरा सख्या 158 की 0.23 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.35 हैक्टेयर दर्ज किये गए किन्तु वादी द्वारा खरीद के पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष कई मर्तबा भूमि दर्ज कराने की कार्यवाही करने के बावजूद भी वादी की गरीबी व अशिक्षा के कारण खाते दर्ज नहीं की है। वादी बैय कानूनन तथा भूमि को अपने खाते बंधवाने का अधिकारी है। सैटलमेंट द्वारा बनाए गए नए नम्बरों के मुताबिक खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को कई मर्तबा कय की गई विवादित भूमि खातेदारी मे दर्ज करवाने की दरख्वास्त देने के बावजूद भी खातेदारी मे दर्ज नहीं होने से खातेदार के पुत्र ने अपनी भूमि का विकय प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष मे खिलाफ कानून एवं बिना कब्जे के संभव नपा कर दिया, जिसने समस्त भूमि के साथ विवादित भूमि भी अपनी खातेदारी मे दर्ज करा ली। विवादित भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष मे खातेदारी मे दर्ज किये जाने के खिलाफ अवैध अनाधिकृत वादी के स्वत्वों के विपरीत होने से शून्य एवं नेनिस्ट है। प्रतिवादीगण गलत खातेदारी के आधार पर जबरन वादी को विवादित भूमि खसरा संख्या 111 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा सख्या 157 करबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा संख्या 158 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके माल हरिपुरा से बेदखल करने एवं वादी की खड़ी फसल को नष्ट करने पर आमादा है तथा पुलिस ने जबरन झूंठी रिपोर्ट पेश कर वादी को परेशान कर रहे है, इस कारण वादी माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त मे वादी का वादपत्र डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा सख्या 111 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी सख्या वाके माल हरिपुरा तहसील लाडपुरा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 157 रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 0.35 हैक्टेयर बने है, प्रतिवादी संख्या 4 के की खातेदारी मे से कम किया जाकर वादी के खाते मे तन्हा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी संख्या 4

को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जबवादावा प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकाबर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होना बताकर प्रतिवादी संख्या 5 का जवाबदावा बन्द किया गया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी की ओर से छीतरलाल, अब्दुल हमीद के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुए जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जिरह की।अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना बताकर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंन्तिम नियत की गई। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 13.09.2012 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कानून व पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत तथ्य की वादी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के खातेदार रामा भील के वारिस की जाती भील साबित होने के बावजूद बेचान नामा दिनांक 16.05.1977 प्रदर्श–1 से साबित कराने के बावजूद वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है। वादी अपीलांट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे पेश किये गए दस्तावेजात एवं न्याय निर्णयों का विवेचन किये बगैर प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत कब्जे के तथ्यों के विपरीत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना व प्रतिवादी

की बिना बहस सुने वादग्रस्त आराजीयात पर वादी अपीलांट का कब्जा नहीं होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने वादग्रस्त आराजीयात पर वादी अपीलांट का कब्जा होना अपने जवाब मे स्वीकार किया है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1979 पेज 1, आर.बी.जे. 1998 पेज 283, आर.बी.जे. 1997 पेज 73 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2012 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कन्हैयालाल के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादी अपीलांट के कथनों का समर्थन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साक्ष्य वादी शपथ–पत्र पी0डब्ल्यु0 1 स्वयं वादी अपीलांट छीतर का है, शपथ–पत्र पी0डब्ल्यु0 2 अब्दुल हमीद निवासी रावंठा तहसील लाडपुरा का है। प्रदर्श–1 पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.05.1977 का है जिसमे आराजी संख्या 111 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं आराजी संख्या 116 रकबा 9 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा को रामा आत्मज रूपा भील निवासी हरिपुरा द्वारा छीतर आत्मज भूरा को विक्रय किया जाना उल्लेखित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2038 से 2057 ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा की है । प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 10 ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे दिनांक 29.03.2011 को तनकीयात विरचित की गई। पर्चा तनकीयात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। प्रकरण मे कुल 5 तनकीयात कायम की गई। आदेशिका दिनांक 29.03.2011 मे भी यह अंकित है कि तनकी कायम की गई। वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.05.1977 पर कोई विस्तृत एवं सकारण निर्णय नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा का है, जिसके संबंध मे तहसीलदार को आवेदन किया जाना अथवा नहीं किया जाना गौण विषय है। मुख्य अनुतोष वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा का है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को वादपत्र मे